न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः आर. के. मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 08/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. **गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा।**

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक –राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल एवं अधिवक्ता गैर सायल श्री पूरणचन्द महावर बहस के दौरान अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 29.06.2022

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा के विरूद्ध थाना कोतवाली दौसा में निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ हैः–

1. **मु. सं. 721/13 दिनांक 01.11.2013 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली दौसा सजा 3.12.2014**
2. **मु. सं. 37/14 दिनांक 6.1.2014 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली दौसा सजा पेंडिंग कोर्ट**
3. **मु.नं. 398/15 दिनांक 5.6.2015 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली दौसा सजा 12.12.2015**

उक्त शख्स बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा शराब बेचने करने का आदि है। जिससे आमजन गलत व्यसन में लिप्त होते है एवं शराब के नशे में कई तरह के अपराध कारित करते है। उक्त गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)5 के अन्तर्गत पेश कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आमजन को व्यसन एवं अपराध के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री पूरण चन्द महावर उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित नहीं आयें। लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा का रहने वाला है। जो अवैध रूप से शराब बेचने का आदि है। जिसके कारण आमजन गलत व्यसन के शिकार हो रहे है एवं शराब के नशे में कई तरह के अपराध कारित करते रहते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा के विरूद्ध थाना कोतवाली दौसा में धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर विगत वर्षो में 2 अपराधों में सजा हुई है एवं एक मुकदमा कोर्ट में पैण्डिंग है। गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पुलिस द्वारा पेश किया गया परिवाद व नोटिस बिल्कुल असत्य व बेबूनियाद तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी 67–68 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है तथा प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई गुण्डा एक्ट का मामला नही बनता है। प्रार्थी के विरूद्ध ऐसे कोई प्रकरण नहीं है जो गुण्डा एक्ट की परिधि में आते हो और न ही ऐसा कोई प्रकरण है जो चोरी या गंभीर प्रकृति के मामले हो। ऐसी सूरत में प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही यह इस्तगासा ड्रोप किये जाने योग्य है। प्रार्थी काफी समय से बीमार है तथा जेर इलाज है। ऐसी सूरत में भी प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः गैर सायल के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

बहस लोक अभियोजक पर मनन किया तथा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा शराब बेचने करने का आदि है एवं गैर सायल पर 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे थाना कोतवाली दौसा जिला दौसा में दर्ज हो चुके है। जिसमे से दो आपराधिक मुकदमों में गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। गैर सायल उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को गलत व्यसन एवं अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम जाति रैगर उम्र 45 वर्ष निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास, खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा को दिनांक 01.07.2022 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल लालसोट के रास्ते होते हुए थाना सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी सवाईमाधोपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी थाना सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं सवाईमाधोपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा